

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 220 /2022

उनवान

शंकर पुत्र हजारी मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- श्रीमति बदाम पत्नी भूरा मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 2- कैलाश पुत्र भूरा मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 3- फुली पत्नी कैलाश मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 4- कान्ता पत्नी लालाराम मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 5- कैलाशी पत्नी छोटू मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 6- महावीर पुत्र देवा गाडरी निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 7- कालू पुत्र उगमा मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 8- छोटू पुत्र उगमा मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 9- मोहन पुत्र सुरजमल मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 10- रंगलाल पुत्र सुरजमल मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 11- छागना पुत्र बरदा मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री मोहम्मद शरीफ
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-


दिनांक- 21.09.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम अरनिया रासा पटवार हल्का अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2011 रकबा 0.16 है0, 2757 रकबा 0.46 है0, 2758 रकबा 0.69 है0, 2761/3278 रकबा 0.45 है0, 3364/1456 रकबा 0.10 है0, 3454/1546 रकबा 0.08 है0, 3457/2670 रकबा 0.17 है0 कुल किता 7 रकबा 2.11 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावे।


प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम अरनिया रासा पटवार हल्का अरनिया रासा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगद्दी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा अरनिया रासा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 7 रकबा 2.11 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।




(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।


उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा